रामकरण बनाम मुकेश
326/2024

31/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। उक्त प्रकरण में मुकदमा का निस्तारण किया जा चुका है। अतः इस अवमानना प्रार्थना पत्र को आगे चलाने की कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः इस अवमानना प्रार्थना पत्र को खारिज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार घोषित की जाकर है। इस के बाद तकमील हाजिक अफसर है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Read
5/1/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 326/2024

1. रामकरण
2. रामदयाल
3. गणेश नारायण
4. हनुमान सहाय पुत्रान लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मुकेश पुत्र गोपाल यादव, जाति अहीर, जरिये निदेशक मेसर्स शिव मनोरमा डवलपर्स प्रा. लि., नि. पंजीकृत कार्यालय 158 महावीर नगर बी बाबा पेराडाईज के पास गोल्यावास मानसरोवर जयपुर।
2. महेश लाठा पुत्र देवीसहाय लाठा, जाति ब्राहम्ण, नि. मुहाना, तह. सांगानेर जिला जयपुर।
3. मनीष अजमेरा पुत्र मोहन अजमेरा, जाति सेनी, नि. पंजीकृत कार्यालय 158 महावीर नगर बी बाबा पेराडाईज के पास गोल्यावास मानसरोवर जयपुर।
4. योगेश गर्ग पुत्र हरीश कुमार गर्ग, निवासी 109 सूलतान नगर जयपुर। गुर्जर की वाड़ी
5. रणवीर यादव पुत्र गोपाल लाल यादव, नि. गणवालो की ढाणी ग्राम मुहाना तह. सांगानेर जिला जयपुर।
6. हितेश बंशल नामालुम
7. गुजन ताम्बी नामालुम

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) सी.पी.सी. बाबत न्यायालय अवमानना (कन्टेम्प आफ कोर्ट)

महोदय्

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. यह कि प्रार्थी व अन्य द्वारा माननीय न्यायालय के हाजा के समक्ष एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी रामकरण वगैं बनाम मेसर्स शिव मनोरमा, मिसल सख्या 222/2024 का पेश किया था उक्त वाद व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2024 को ग्राम बालावाला पटवार हल्का लाखना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मुहाना, तहसील सागांनेर जिला जयपुर स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता खं. 208 गत खाता संख्या 180 के ख.न. 35/1012 रकबा 0.1000 है., ख.न. 36

रामकरण रामदयाल गणेश हनुमानसहाय